

# ida

## इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर


7, रेसकोर्स, रोड, इन्दौर (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्रं. 21

दिनांक : 15.01.2025

योजना क्रमांक 78-प्रथम व्यवसायिक (लोहामण्डी) में कन्विनिअंट शॉप भूखण्ड पर निर्मित दुकानों को भू-स्वामी अधिकार पर संपत्ति की आरक्षित कीमत या उससे अधिक पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	संपत्ति का विवरण	संपत्तियों की संख्या	आरक्षण श्रेणी	सुपर बिल्टअप एरिया (वर्ग मीटर में)	संपत्ति की आरक्षित कीमत	अर्नेस्ट मनी (रु. लाख में)
1	दुकान भूतल तल	17	आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार	35.59 से 45.11 तक	45.00 लाख से 50.00 लाख तक	4.50 से 5.00 तक



लोकेशन हेतु स्कैन करें

### ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की तिथियाँ

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	20.01.2025	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति राशि) जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	10.02.2025	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन एवं ऑफर प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	13.02.2025	18:00 hrs.
4	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र जाँच हेतु खोलने का दिनांक एवं समय	14.02.2025	11:30 hrs
5	पात्र निविदादाताओं के ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	21.02.2025	12:30 hrs

नोट :-

- निविदा एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल <https://www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in> पर देखी एवं कय की जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिये आवेदक को पोर्टल पर अपनी लॉग-इन आय.डी. बनाकर प्रोफाइल में आवश्यक जानकारी दर्ज करना होगी। आवेदक ऑनलाईन निविदा स्वयं अथवा एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। एम.पी.ऑनलाईन का हेल्प डेस्क नंबर 0755-6720200 है।
- अर्नेस्ट मनी (प्रतिभूति राशि) का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आरटीजीएस के माध्यम से ही करना होगा।
- आवेदक को अपनी निविदा मय आवश्यक दस्तावेजों के केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करना होगी, भौतिक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करना है।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अर्नेस्ट मनी सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल प्राधिकारी की वेबसाइट <https://www.idaindore.org> पर ही प्रदर्शित किया जावेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, जिसके लिये कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।

मुख्य कायपालिक अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिये मार्केटिंग सेल (मो. 98936-99113) पर संपर्क करें

एवं प्राधिकारी की वेबसाइट [www.idaindore.org](http://www.idaindore.org) पर देखें